

आन-लाईन संस्था (NGO) का संशोधन कराने के लिए अपलोड किये जाने वाले कागजातों की विवरणी

1. प्रथम आम सभा की कार्यवाही की मुद्रित प्रति एवं कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति ।
2. द्वितीय आम सभा की कार्यवाही की मुद्रित प्रति एवं कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति ।
3. दोना आम सभा की बैठक हेतु सूचना की मुद्रित प्रति ऐ पंजी की छायाप्रति ।
नोट:- (दोनो आम सभा के बैठक के बीच एक माह का अन्तराल होना आवश्यक है।)
4. संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की तुलनात्मक प्रति ।
5. संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की संशोधित प्रति ।
6. तीन साल का ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट एवं फार्म एच ।
7. कार्यालय प्रमाण-पत्र के रूप में अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/वार्ड पार्षद/ग्राम पंचायत के मुखिया/नगर पंचायत/ नगर निगम के पदाधिकारी एवं वार्ड सदस्य द्वारा निर्गत कार्यालय प्रमाण-पत्र ।
8. अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र ।
नोट:- (राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित)
9. संस्था के कार्यालय भवन का लोकलिटी सहित फोटो स्थायी बोर्ड के साथ ।
(जैसे बोर्ड टिन का बना होना चाहिए)

नोट:- अपलोड किये गये कागजातों के सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत सचिव का हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।